

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 03/24

GCMS NO-2024/19

सन् 2024

बउनवानी:-1. केसरा लुहार पुत्र बरदया लुहार आयु 72 वर्ष निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर
बनाम

1. सरफूद्दीन पुत्र जुम्मा लुहार आयु 40 वर्ष निवासी एण्डा तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मिसल संख्या 01/2022
मे पारित आदेश दिनांक 18.5.2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक
भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थित:- 1. श्रीदास सिंह राजावत
2. श्री रिषीराम भीना

अपीलान्त
रेसपो0

-: निर्णय :- दिनांक 30.04.2024

अपील अपीलान्त ने उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मिसल संख्या 01/2022 मे
पारित निर्णय दिनांक 18.8.2022 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत
मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे भरण पोषण राशि 1500/-रु जो कि बहुत ही कम
निर्धारित गयी है इसलिए आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपो. की तलबी
जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब
किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश
जैर अपील विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि
अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 भरण पोषण
अधिनियम के तहत गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर मुझ अपीलान्त से भरण पोषण की राशि
1500/-रु प्रतिमाह देने के आदेश पारित किये है जो बहुत कम है क्योंकि उक्त आदेश मे
अपीलान्त के ईलाज पर खर्च होने वाली राशि व बुढापे में भरण पोषण हेतु खर्च होने वाली राशि
का विवेक पूर्ण विवेचन नही किया है। प्रार्थी के कोई संतान नही होने के कारण प्रार्थी ने
सरफूद्दीन को गोद लिया था जिसका गोदनाम लिखा हुआ है। सरफूद्दीन एक व्यापार पेशा एवं
काश्तकार व्यक्ति है जो 20,000/-प्रति माह कमाता है प्रार्थी वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति है तथा
इस उम्र में धन्धा नही कर सकता है जिसके कारण प्रार्थी को अपने दत्तक पुत्र सरफूद्दीन पर ही
निर्भर है प्रार्थी की आराजीयात वन विभाग मे आने से प्रार्थी को वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि
7,00,000/-रु भी अप्रार्थी ने अपने बैंक खाते मे जमा करा रखे है तथा उससे प्राप्त बैंक ब्याज
भी अप्रार्थी सरफूद्दीन ही रखता है मुआवजा राशि 7,00,000/-रु प्रार्थी ने अप्रार्थी को दे दी थी
किन्तु जब सरफूद्दीन ने मुझे रेसपो0 को परेशान किया तब पंच पटेल द्वारा दिनांक 20.2.2018 एक
समझौता करवाया गया जिसमे सरफूद्दीन द्वारा तीन लाख रूपये वापस जमा करवाने बाबत अपनी
सहमति दी गयी है किन्तु उक्त रूपये वापस नही दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ
रेसपो0 को 1500/-रु प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिये जाने का आदेश दिया है जिससे मेरी
दवाईयों इत्यादि का खर्चा नही चल रहा है इसलिए मुझे 1500/-रु के स्थान पर 5000/-रु
प्रति माह भरण पोषण राशि दिलवायी जाने बाबत वकील रेसपो0 द्वारा निवेदन किया गया है।

.....(1).....




(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। यह तर्क भी दिया कि केसरा लुहार निवासी ऐण्डा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 भरण पोषण अधिनियम के तहत गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर मुझ अपीलान्ट से भरण पोषण की राशि 1500/-रु प्रतिमाह देने के आदेश पारित करवा लिये है। क्योंकि केसरा लुहार से मेरा किसी प्रकार से कोई संबंध एव वास्ता नहीं है। केसरा लुहार मुझ अपीलान्ट के पिता का भाई रहा है जिसकी कोई चल-अचल सम्पत्ति मुझ अपीलान्ट के पास नहीं है। केसरा लुहार उसके छोटे भाई रोशन लुहार जो पढाना गोव मे निवास करता है उसके पास मे रह रहा है मुझ अपीलान्ट के पास कभी भी नहीं रहा है तथा केसरा लुहार के गांव ऐण्डा में किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति नहीं है अर्थात मुझ अपीलान्ट द्वारा केसरा लुहार की छोडी हुई किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा मुझ अपीलान्ट के पास कोई पैत्रिक सम्पत्ति भी नहीं है। मुझ अपीलान्ट के पांच संतान है जिनका भरण पोषण मजदूरी करके करता हूँ यह तर्क भी दिया कि मैं मेरे परिवार का भी सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। इसलिए केसरा जो कि मेरा कुछ भी नहीं लगता है के भरण पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही उक्त केसरा को मेरा गोद पिता मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जबकि सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम जुम्मा लुहार है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर बिना किसी जाँच करवाये केवल मात्र पंचो द्वारा लिखे गये सादा गोदनामे को आधार मानते हुए रेस्पो० केसरा को 1500/-रु प्रतिमाह बतौर गुजारा भत्ता देने के आदेश पारित किये गये है जो विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि रेस्पोडेण्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर अपीलान्ट का रेस्पो. केसरा के गोदपुत्र/दत्तक पुत्र जैसा कोई सम्बन्ध नहीं होना साबित हो सकें। इसके विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पंचनामा दिनांक 20.2.2018, एवं बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक श्यामपुरा में केसरा व सरफूद्दीन के संयुक्त खाता संख्या 41520100002589 की पासबुक तथा पीएसीएल इण्डिया लिमिटेड की पॉलिसी जिसमे सरफूद्दीन को नॉमिनी नियुक्त किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार रेस्पो० अपीलान्ट से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण राशि कम निर्धारित की गयी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण राशि 1500/-रु प्रतिमाह के स्थान पर भरण पोषण राशि 3000/-रु प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट से दिनांक 18.5.2022 से अब तक 1500/-रु प्रतिमाह के हिसाब से 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वसूल की जाकर रेस्पो० को भुगतान करवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर